संख्या- 18/2018/678/38-4-18-22(बजट)/2017

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:20जून, 2018**

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि पर वित्तीय वर्ष-2018-19 में देय मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद द्वारा हडको से लिए गये ऋण के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के संबंध में संयुक्त आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-23/ग्रा0आ0परि0-212, दिनांक 09.05.2018 (मयसंलग्नक छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि चूँकि हडको से लिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज की अदायगी बचनबद्ध व्यय है। अत: शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक त्रैमास के लिए अलग-अलग धनराशि अवमुक्त करने के स्थान पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित समस्त धनराशि क्रमश: रू0 215 करोड़ तथा रू0 251 करोड़ आपके निर्वतन पर रख दी जाए, ताकि ऋण की अदायगी में विलम्ब न हो।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्त पोषण हेतु हडको से प्राप्त ऋण के सापेक्ष प्रत्येक त्रैमास (अप्रैल 2018- जून 2018, जुलाई 2018-सितम्बर 2018, अक्टूबर 2018- दिसम्बर 2018 एवं जनवरी 2018-मार्च 2019) में मूलधन एवं ब्याज की अदायगी हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में **मूलधन की अदायगी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 215.00 करोड़ (रूपये दौ सौ पन्द्रह करोड़ मात्र) तथा ब्याज की अदायगी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 251.00 करोड़ (रूपये दो सौ इक्यावन करोड़ मात्र)** हडको को प्रत्येक त्रैमास में भुगतान करने हेतु आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्त पोषण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1469/38-4-17-49(विविध)/2017, दिनांक 31 अक्टूबर,2017 में विहित प्राविधानों के अधीन योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि के सापेक्ष मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में व्यय की जायेगी।

(2) भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपरोक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि को आहरित कर बैंक, पी0एल0ए0 या डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(6) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(7) हडको को मूलधन एवं ब्याज की धनराशि निर्धारित तिथि तक प्रत्येक दशा में भुगतान करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(8)- देय मूलधन एवं ब्याज के आगणन की शुद्धता, धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

(9) प्रत्येक त्रैमास में मूलधन एवं ब्याज की धनराशि के भुगतानोपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 हडको से भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर, एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त की प्रति वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को भी प्रेषित की जायेगी।

4- मूलधन का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2216-आवास 03-ग्रामीण आवास 800-अन्य व्यय 03-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु हडको से लिए गए ऋण के मूलधन का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" एवं **ब्याज का भुगतान**- "लेखाशीर्षक-2216-आवास 03-ग्रामीण आवास 800-अन्य व्यय 02-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" नामे डाला जायेगा

5- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक त्रैमास में हडको ऋण के देय मूलधन एवं ब्याज की धनराशि के भुगतान हेतु मांग पत्र सीधे आयुक्त, ग्राम्य विकास को प्रेषित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कराया जायेगा कि हडको ऋण के देय मूलधन एवं ब्याज का भुगतान हडको को प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाय।

6- यह आदेश वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श/सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 18/2018/678(1) /38-4-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
8. ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
10. विशेष कार्याधिकारी, (बजट प्रकोष्ठ), ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
11. गार्डबुक ।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।